



मानव देह के सूक्ष्म में बसे हुए श्री गणेश

मानव देह के सूक्ष्म में श्री गणेश बसे हुए हैं एकमात्र सहज योग साधना से ही उनको जगाया जा सकता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश का स्थान है इनके जागरण से मानव जीवन शुद्ध पवित्र और निर्मल हो जाता है आदिशक्ति मां ता जी निर्मल देवी की कृपा से मानव जीवन में ही कुंडलिनी जागरण हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए 8517002540 पर संपर्क करें।



हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं: कर्नाटक के मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर बीजेपी बोली हर मामले में अपनी नाक न घुसेड़ें

नई दिल्ली, एजेंसी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भारत-पाकिस्तान तनाव पर कहा कि वह युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए केंद्र के साथ काम करेगी। उनके बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि जिन बातों की समझ नहीं है, उसपर न बोलें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। उनका यह बयान

जम्मू और कश्मीर के पहलगांम में हुए आतंकी हमले के बाद आया है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। सिद्धारमैया ने पत्रकारों से बात करते हुए



कहा कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शांति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, इस घटना में सुरक्षा में

चूक हुई है। हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को कड़ा करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। केंद्र सरकार को कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। हालांकि सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि उनकी सरकार कर्नाटक में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए काम करेगी। यह केंद्र सरकार के निर्देशानुसार किया जाएगा। उन्होंने कहा, %केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए कदम उठाए जाएंगे। राज्य के विभिन्न शहरों में पाकिस्तानियों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी।

30 वर्षों से किए जा रहे हैं सहज योग चिकित्सा पर कार्यक्रम

Sahaj yog news.com द्वारा विगत 30 वर्षों से हजारों

इंदौर रतलाम मंदसौर आलोट उज्जैन में किसानों के लिए सहज

कार्यक्रम किसानों एवं सहज योग चिकित्सा पर किए गए हैं आगामी सप्ताह में विभिन्न रोगों डायबिटीज अस्थमा हृदय रोग है high bp low bp पर करना प्रस्तावित है जिसमें आष्टा सोनकच्छ देवास

कृषि और सारे सरकारी अस्पतालों में सहज योग चिकित्सा विधि द्वारा free इलाज किया जाएगा। जिसमें सभी बंधु आमत्रित हैं अधिक जानकारी के लिए 8517002540 पर संपर्क करें।



सिंधु समझौता को ठंडे बस्ते में डालने के प्रति बहुत गंभीर है सरकार

रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते : भारत ने सिंधु समझौते पर यूं ही नहीं लगाया ब्रेक

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का फैसला किया है। गुहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक में सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह इस पर गंभीरता से आगे बढ़ रही है। जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी नहीं जाने दिया जाएगा। तथ्य ये बता रहे हैं कि इसकी तैयारी करीब एक दशक से चल रही है। भारत ने पहलगांम आतंकी हमला के बाद जब से सिंधु समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है, तभी से कुछ लोग यह आशंका जता रहे हैं कि क्या यह इतना आसान है। क्योंकि, उनके दिमाग में एक ही बात बैठी है कि यह अंतरराष्ट्रीय समझौता का हिस्सा है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की हुई है। कुछ लोग यह भी दलील दे रहे हैं कि पता नहीं, इसमें कितना समय लगेगा। लेकिन, शुक्रवार को गुहमंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक से ही यह संकेत मिल गया है कि सरकार ने जो कहा है, वह हल्के में नहीं कहा है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने तत्काल ही बता दिया कि एक भी बूंद नहीं जाने दिया जाएगा और इसपर अमल के लिए तीन योजनाएं तैयार हैं।



बहुत सारी संधियों पर दोबारा विचार हुए हैं

■ सिंधु जल संधि को रोकने के भारत के फैसले के बारे में एनबीटी ऑनलाइन ने मामले के लगभग हर पहलुओं से वाकफ़ वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुडीर से खास बात की है। उनका कहना है, फ़क़ल पाटिल साहब (जल शक्ति मंत्री) ने साफ़ किया कि वह तुरंत रोकना चाहते हैं। वह पानी को तत्काल रोकना चाहते हैं, ताकि यह तबे समय का प्रोजेक्ट ना लगे और पाकिस्तान पर इसका असर अभी से पड़ने लगे। ये सवाल बहुत उठ रहे हैं कि भारत अपने दम पर कैसे कर सकता है, इसमें तो वर्ल्ड बैंक है...लिहाजा इसको एक तरफ़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन, भारत इसके सभी कानूनी पहलुओं को देख रहा है, जो कि संभव है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर समझौतों के बाद विवाद हुए हैं और उसपर फिर दोबारा से विचार भी किया गया है... उन्होंने यह भी कहा कि लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के हक में हुए सिंधु समझौते से निकलने के बारे में भारत ने अभी और अचानक सोचा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान भी अभी तक इसी कंप्यूजन में जी रहा है। लेकिन, सच्चाई बिल्कुल अलग है और इसपर काम बहुत पहले से चल रहा है। उनके मुताबिक, मोदी जी ने पहले भी पटानकोट (हमले) के समय कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता...तो उस वक़ से भारत तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यह अचानक हो रहा है...इस बार बहुत गंभीरता के साथ है और पाकिस्तान ये जानता है...भारत जब एक साथ खड़ा होता है और उसने यह शक्ति अर्जित की हुई है कि वह इसपर रोक लगा सकता है...लिहाजा इसमें अभी कोई बड़ी समस्या भारत को नहीं दिख रही है।

2016 में हो गया था फैसला?

■ बात 2016 के सितंबर की है। भारत और पाकिस्तान के बीच तब भी तनाव चरम पर था। जानकारी के मुताबिक उसी दौर में तत्कालीन जल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, %रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। %यह बैठक सिंधु जल संधि को लेकर ही थी। तभी इस संधि पर विचार के लिए इंटर-मिनिस्ट्रियल टास्क फ़ोर्स बनाने की बात भी सामने आई थी। इसकी अहमियत इसी से पता चलती है कि इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल, तत्कालीन विदेश सचिव और मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल थे। इस बीच इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार भारत सिंधु जल संधि को लेकर कानूनी सलाह ले रहा है। भारत 2022 से सिंधु जल संधि में बदलाव के लिए औपचारिक कोशिश कर रहा है। यह बदलाव किशनगंगा और रेटल परियोजनाओं पर विश्व बैंक की कार्यवाही के कारण है। भारत ने इसे निलंबित करने के लिए अभी पाकिस्तान को जो पत्र भेजा है उसमें परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन का हवाला दिया गया है। भारत का कहना है कि जनसांख्यिकी में बदलाव और रस्वच्छ ऊर्जा की जरूरतें बदल गई हैं। इसलिए संधि में बदलाव जरूरी है। जल शक्ति मंत्रालय ने अटॉर्नी जनरल से कानूनी विलय तलाशने को कहा है।

वक्फ बोर्ड के दावों में पारदर्शिता लाने की जरूरत : सरकार

दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति महज 12 साल में 9 से 1047 हुई

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2013 के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्तियां बहुत बढ़ गई हैं। पहले देश में 2,07,394 संपत्तियां थीं, जो अब 8,72,870 हो गई हैं। दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और अंडमान निकोबार में भी संपत्तियां बढ़ी हैं। सरकार ने 2025 में संशोधन लाने की बात कही है। सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड नियमों के अनुसार काम करें और किसी की संपत्ति पर

गलत तरीके से दावा न करें। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2013 में वक्फ एक्ट, 1995 में एक बदलाव किया गया था। इस बदलाव से पहले, बिना रजिस्ट्रेशन वाले वक्फ पर कोई दावा नहीं कर सकता था। लेकिन बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पहले पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास 2,07,394 संपत्तियां थीं। इनका क्षेत्रफल 18.3 लाख एकड़ था। 2013 में संशोधन होने के बाद, ये संपत्तियां बढ़कर 8,72,870 हो गईं।



दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति 9 से 1047 हुई

दिल्ली वक्फ बोर्ड का उदाहरण लेते हैं। 2013 में उनके पास सिर्फ नौ संपत्तियां थीं। इनका क्षेत्रफल 0.03 एकड़ था। लेकिन 2025 तक, उनके नियंत्रण में 1,047 संपत्तियां हो गईं। इनका क्षेत्रफल 28 एकड़ हो गया है। जम्मू और कश्मीर में तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। 2013 में औकाफ बोर्ड के पास सिर्फ एक संपत्ति थी। इसका क्षेत्रफल 0.42 एकड़ था। 2025 तक, उनके पास 32,533 संपत्तियां हो गईं। इनका क्षेत्रफल 31.4 एकड़ हो गया है। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। दूरदराज के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी वक्फ संपत्तियां बढ़ी हैं। 2013 में यहां 35 संपत्तियां

थीं। 2025 में ये बढ़कर 151 हो गईं। इस दौरान 138 एकड़ जमीन और जुड़ गई। सबसे कम बढ़ोतरी मेथालय में हुई है। यहां 2013 में 51 वक्फ संपत्तियां थीं। 2025 में ये बढ़कर 58 हो गईं। मेथालय में ईसाई धर्म के लोग 75न हैं, हिंदू 11न और आदिवासी समूह 9न हैं। राजस्थान में भी वक्फ संपत्तियों में मामूली वृद्धि हुई। 12 सालों में 7,769 संपत्तियां बढ़ीं। 2013 में यहां 23,126 संपत्तियां थीं। तमिलनाडु में 2013 में 43,623 वक्फ संपत्तियां थीं। अगले 12 सालों में 22,469 और जुड़ गईं। उत्तर प्रदेश में सुनौं वक्फ संपत्तियां 2013 में 12,914 थीं। 2025 में ये बढ़कर 2,17,161 हो गईं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भोपाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री राजगढ़ में सुनेंगे मन की बात

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'मन की बात' कार्यक्रम को 27 अप्रैल, रविवार को प्रातः 11 बजे प्रदेश के सभी बूथों पर पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता सुनेंगे।



भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा प्रातः 11 बजे भोपाल के वार्ड क्रमांक 50 के जी-3 गुलमोहर सील पब्लिक स्कूल के सामने पाक बूथ क्रमांक 200 पर एवं भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी राजगढ़? जिले के नरसिंहग? विधानसभा के कुरावर मंडल के ग्राम माना के बूथ क्रमांक 241 में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे।

भाग्यांश एंकर

मुंबई पुलिस ने दिल्ली की अदालत में की शिकायत

गोलमोल जवाब दे रहा है तहव्वुर राणा, किसे बचाने की कोशिश कर रहा है 26/11 मुंबई का गुनहगार

नई दिल्ली, एजेंसी।

मुंबई पुलिस के अनुसार, 26/11 के आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसे अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है। अदालत ने राणा को परिवार से बात करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को डर है कि वह संवेदनशील जानकारी दे सकता है। 26/11 मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। मुंबई पुलिस के अनुसार, वह सवालों के गोलमोल जवाब दे रहा है। मुंबई फ़ाइल ब्रांच की एक टीम ने दिल्ली में राणा से आठ घंटे से अधिक पूछताछ की।



परिवार को फोन करने वाली राणा की याचिका खारिज

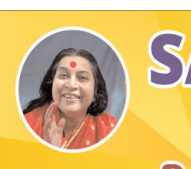
■ लेकिन पुलिस का कहना है कि 64 साल के राणा ने जांच में कोई मदद नहीं की। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। वह डेविड कोलमेन हेडली का करीबी साथी है। हेडली अमेरिकी नागरिक है और उसने 2008 के मुंबई हमलों में अहम भूमिका निभाई थी। राणा को हाल ही में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है। वह अभी एनआईए हिरासत में है। उस पर भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत कई आरोप लगे हैं। इनमें साजिश, आतंकवाद, जालसाजी और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे आरोप शामिल हैं।

बड़े आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहे सबूत

■ इस बीच गुरुवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राणा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत मांगी थी। तहव्वुर राणा के वकील पीयूष सचदेवा ने कहा कि राणा एक विदेशी नागरिक है। इसलिए उसे अपने परिवार से बात करने का हक है। परिवार उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने राणा की इस मांग का विरोध किया। NIA ने चेतावनी दी कि राणा बातचीत के दौरान संवेदनशील जानकारी दे सकता है। NIA के विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जांच अभी चल रही है और यह संवेदनशील मामला है। इससे पहले रिमांड सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सबूतों पर जोर दिया था।

सविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान अभियान के तहत भोपाल में ‘‘द अंबेडकर यूथ कॉन्क्लेव’’ 27 अप्रैल को

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गुरु प्रकाश पासवान 27 अप्रैल, रविवार को ‘‘आईएम बीजेपी फ्यूचर फोर्स’’ द्वारा श्यामला हिल्स स्थित राज्य संग्रहालय ऑडिटोरियम में भारत रत्न, बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के कुतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित ‘‘द अंबेडकर यूथ कॉन्क्लेव’’ को संबोधित करेंगे। ‘‘सामाजिक न्याय से सामाजिक सशक्तिकरण तक- मोदी युग में बाबा साहब के सपने को साकार करना’’ विषय पर आयोजित ‘‘द अंबेडकर यूथ कॉन्क्लेव’’ का शुभारंभ 27 अप्रैल को प्रातः 9-30 बजे होगा। समापन सत्र को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा संबोधित करेंगे। पूर्व में कॉन्क्लेव के प्रथम सत्र को प्रातः 10.30 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गुरु प्रकाश पासवान संबोधित करेंगे। प्रथम सत्र की अध्यक्षता सांसद श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी करेंगे।



SAHAJ YOG NEWS
Presents

सहज कृषि एवं सहज योग चिकित्सा शिविर प्रारंभ होने जा रहा है- आष्टा, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम एवं मंदसौर में आने वाले सप्ताह में रखा जायेगा।

आप देखते रह: sahajyognews.com
अधिक जानकारी के लिये: 8517002540 पर संपर्क करें

Editor in Chief
Rakesh Thakur